सहकारी क्रय-विक्रय योजना

कृषकों को परम्परागत बिचैलियों के शोषण से मुक्त कराते हुए उनकी उपज का उचित मूल्य दिलवाने एवं उनके आर्थिक हितों की सुरक्षा करने के उद्देश्य से सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का गठन किया गया है। क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत प्रदेश स्तर पर उ0प्र0 कोआपरेटिव फेडरेशन लि0 (पी0सी0एफ0) का गठन किया गया है, जो कृषि उपजों का क्रय-विक्रय, विधायन, चीनी वितरण, उर्वरक/बीज वितरण तथा मूल्य समर्थन योजना में स्टेट एजेण्ट के रूप में कार्य करते हुए समितियों/केन्द्रों के माध्यम से कृषि उपजों की खरीद करता है। जनपद स्तर पर 58 जिला सहकारी संघ गठित हैं, जिनके द्वारा जनपद स्तर पर कृषि उपजों का क्रय-विक्रय, उर्वरक /बीज वितरण, तथा मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों की कृषि उपजों की खरीद की जाती है। इसी प्रकार तहसील स्तर पर 258 सहकारी क्रय-विक्रय समितियों का गठन किया गया है, जो उर्वरक/बीज वितरण एवं मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत कृषकों की कृषि उपजों को उचित मूल्य पर खरीदती है। इनके द्वारा वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक किये गये व्यवसाय का विवरण अधोलिखित हैः-

(धनराशि लाख रू0 में)

वर्ष	पी0सी0एफ0	डी0सी0एफ0	क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ
2012—13	**570862.00**	**30378.11**	**24619.00**
2013—14	**455480.00**	**27991.00**	**20524.00**
2014—15	**515977.00**	**17587.00**	**13585.00**
2015—16	**523382.00**	**29843.00**	**25902.00**
2016—17	**398466.00**	**25054.00**	**15892.00**
2017—18	**299343.00**	**5716.00**	**6687.00**

2- कृषकों को उनकी उपजों का उचित मूल्य दिलाने एवं बिचैलियों के शोषण से उन्हे मुक्त कराने के उद्देश्य से क्रय-विक्रय योजनान्तर्गत मूल्य समर्थन योजना

का संचालन किया जाता है, जिसमें कृषकों से उनकी प्रमुख उपज-गेहूँ एवं धान की खरीद की जाती है। मूल्य समर्थन योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-2018 तक की गयी धान/ गेहूँ खरीद का विवरण अधोलिखित हैः-

(मात्रा मै0 टन में)

वर्ष	गेहूँ	धान
2012—13	2045570.451	598366.106
2013—15	477446.000	253034.000
2014—15	407085.000	492815.000
2015—16	1041374.000	892502.669
2016—17	455066.366	249371.132
2017—18	1925004.877	375177.559 (दि0 29—11—2017 तक)

————————